मेरे विचार से, साक्ष्य अनुचित होगा। Cआर.P.C की धारा 311 के प्रावधानों की ऐसी व्याख्या नहीं है जैसी प्रयुक्त भाषा से प्रवाह हो रही है। इसलिए ट्रायल कोर्ट, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को क्षेत्राधिकार और कानून की त्रुटि की वजह से खारिज करते है। नतीजतन, वर्तमान याचिका अनुमति को दी गई और 23 नवंबर, 2002 के आदेश को हटाया दिया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता के आवेदन पर विचार और निर्णय, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत, नए सिरे से, कानून के अनुसार करे। पार्टियों, उनके वकील के माध्यम से, को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना 9 अक्टूबर, 2006 को तय है।

आर .एन .आर .

आर. एस. मदन, जे.के समक्ष

दीपक *नारंग, – याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और & *अन्य, – उत्तरदाताओं गंभीर MISC. नहीं। 2004 का 8850 / एम*

14 सितंबर, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता,1973 – धारा 197 – प्रतिभूतिकरण और & वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 – धारा 32 - ऋण से संबंधित बैंक को भुगतान में चूक सुविधाएं – बैंक ने प्रतिवादी के पिता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की –बैंक के पक्ष में सिविल डिक्री – डिक्री पास होने के बाद भी कोई भुगतान नहीं– बैंक 2002 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू कर रहा है अधिनियम – याचिकाकर्ता, बैंक के अधिकारी लोक सेवक हैं 2002 अधिनियम के तहत– याचिकाकर्ताओं में निर्धारित प्रक्रिया डिफॉल्टर के घर के बाहरी गेट पर नोटिस को चिपकाएं – पुलिस मौजूद सूचना के समय भी रिपोर्ट कर रहा है कि अनहोनी नहीं हुई – प्रासंगिक में घर में उपलब्ध नहीं है – याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा करने के लिए कार्यवाही का कोई कारण नहीं – याचिकाकर्ताओं की कार्यवाही प्रत्यय के माध्यम से प्रभावित नोटिस की सेवा प्राप्त करना उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में है – याचिकाकर्ता के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना धारा 197 Cआर.P.C के तहत आवश्यक था –शिकायत प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक कार्य है– याचिका की अनुमति, शिकायत के साथ-साथ आदेश भी खारिज।

अभिनिर्धारित, बैंक ने वसूली की कार्यवाही शुरू की है उत्तरदाताओं चंडीगढ़ में सिविल कोर्ट में पिता हरबिलास और अन्य के खिलाफ और 23 दिसंबर, 1988 को एक डिक्री यह प्रभाव रुपये की राशि के लिए प्राप्त किया गया था। 2,01,234.14 पैसे की डिक्री के पारित होने पर, कोई राशि का भुगतान प्रतिवादी नंबर 2 पिता द्वारा नहीं किया गया था और राशि में सूजन रु 7,06,275 / -हो गई। दलील है कि अधिनियम की धारा 36 जो सीमा प्रदान करती है वह वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति आकर्षित नहीं है, निरंतर के कारण डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्यवाही लंबित है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें बैंक के अधिकारी लोक सेवक थे, उनका अनुसरण कर रहे थे 2002 अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और वे सभी कदम उठा रहे थे जिन्हें उनके अधिकारी के निर्वहन में कानून के तहत वारंट किया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि उस समय जब प्रत्यय घर के बाहरी गेट पर नोटिस नं. 35, सेक्टर 16, पंचकुला चल रहा था, ये कार्यवाही की जा रही थी पुलिस के दो कांस्टेबलों की मौजूदगी में जो वापस लौटते हैं पुलिस स्टेशन ने बताया था कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंचकुला की रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करता है। यह पार्टियों का भर्ती मामला भी है प्रासंगिक समय पर श्रीमति. रोशनी देवी घर में मौजूद थीं लेकिन उसने न तो सक्षम अदालत में कोई शिकायत दर्ज की थी याचिकाकर्ता के कथित कृत्य के बारे में और न ही संबंधित पुलिस के साथ कोई भी पहली सूचना रिपोर्ट के बारे में। वर्तमान न्यायिक न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा शिकायत दर्ज मजिस्ट्रेट इस्ट क्लास, पंचकुलाकी गई थी । यह भी विवादित नहीं है कि डिफॉल्ट करने वाली पार्टी ने याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए खतरा दिखाया उन्हें कुछ झूठे आपराधिक मामलों में और इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वर्तमान शिकायत दर्ज की गई थी यह उन्हें परेशान करने के लिए ताकि वे वसूली को अंजाम न दें ।

(पैरा 17)

मैं. पी. सिंह, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए.*

एस. एस. गौरीपुरिया, डिप्टी एडवोकेट जनरल, हरियाणा, *प्रतिवादी न.1 के लिए*

आर. ए. यादव, एडवोकेट, *प्रतिवादी न.2 के लिए*

निर्णय

आर. एस. मदन, जे.

(1) मेरा यह आदेश दो आपराधिक विविध न. 2004 के 8850-एम और न. 2004 का 8486-एम, जो 12 मई, 2003 के आदेश से उत्पन्न हुए हैं (अनुबंध पी -7) न्यायिक मजिस्ट्रेट इस्ट क्लास, पंचकुला द्वारा पारित का निपटान करेगा। दोनों में शिकायतें, तथ्य समान हैं, इसलिए तथ्यों को आपराधिक मिसल न. 2004 का 8850-एम. से लिया गया है।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता पहले सहायक महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय के रूप में तैनात थे कार्यालय, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ जबकि श्री आर. के. सूद पोस्ट किया गया था मुख्य प्रबंधक के रूप में, इलाहाबाद बैंक, शाखा कार्यालय, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़। याचिकाकर्ता वर्तमान में सहायक जनरल के रूप में तैनात है प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद जबकि श्री आर.के. सूद, मुख्य प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय के रूप में तैनात हैं कार्यालय, संसद स्ट्रीट, नई दिल्ली और दोनों स्थायी हैं बैंक के कर्मचारी / अधिकारी जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, इस प्रकार भारत सरकार के लोक सेवक है । यह आरोप लगाया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन (बाद में प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के रूप में संदर्भित), तेजी से वसूली के लिए अस्तित्व में आया ऋण / ऋण जो गैर-प्रदर्शन संपत्ति बन गए हैं। नियम थे सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिनियमित, जिसे सुरक्षा हित कहा जाता है (प्रवर्तन) नियम, 2002, इस के अनुसार 2 (ए), ए अधिकृत अधिकारी का अर्थ है एक अधिकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मुख्य प्रबंधक से कम नहीं है जो एक सुरक्षित लेनदार के अधिकारों का उपयोग कर सकता है और एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्यवाही का संचालन कर सकता है बैंक के उधारकर्ताओं / डिफॉल्टर के खिलाफ। यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता दीपक नारंग सहायक जनरल बैंक में प्रबंधक का पद और क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख संभाल रहे थे, को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में घोषित किया गया था के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत इलाहाबाद बैंक वित्तीय परिसंपत्तियां और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 और नियमों का प्रवर्तन। अधिकृत अधिकारी और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में परिपत्र प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बैंक द्वारा 12 नवंबर, 2002 को जारी किया गया था। म/स राजू आटा मिल्स बैंक की डिफॉल्टर से संबंधित ऋण सुविधाओं से संबंधित

बैंक से। उक्त फर्म का खाता गैर-निष्पादित हो गया एसेट्स और इस तरह धारा 13 (2) के संदर्भ में बकाया ऋण का भुगतान प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 उधारकर्ताओं के लिए जिसमें फर्म शामिल थी, फर्म और गारंटियों के भागीदार से मांग के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक था। जंगम और अचल संपत्तियों को बैंक के साथ गिरवी रखा गया था क्योंकि इलाहाबाद बैंक एक सुरक्षित लेनदार था और ठीक होने का हकदार था उसी की बिक्री से राशि का भुगतान नोटिस के प्रावधानों के अनुसार नोटिस की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता एक अधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता है अधिनियम के तहत, 2002 ने 12 फरवरी,2003 को डिमांड नोटिस जारी किए, अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं को अर्थात्. एम / एस. राजू आटा मिल्स, 243, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़, राजीव शर्मा, श्री जे.पी. शर्मा, हाउस नं. 1043, सेक्टर 2, पंचकुला, उनके पुत्र संजीव शर्मा,हाउस नं. 1043, सेक्टर 2, पंचकुला, पदम भूषण, श्री हरबिलास का पुत्र, निवासी घर नं. 80, सेक्टर 28-ए, चंडीगढ़ और स्मती. पारकाशो देवी, पत्नी सिरी राम, दया नगर, नई मंडी, ताराओरी, जिला के विपरीत कर्णाल ने रुपये 7,06,275 / - की राशि चुकाने के लिए 60 की अवधि के भीतर नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, जो प्राप्त हुए थे। याचिकाकर्ता द्वारा धारा 13 (2) के तहत जारी किए गए नोटिस दिनांक 12 फरवरी, 2003 से उधारकर्ताओं / डएफऊलटर्स यानी राजीव शर्मा, श्री जे के पुत्र. पी. शर्मा, घर नं. 1043, सेक्टर 2, पंचकुला, श्री संजीव शर्मा, का बेटा श्री जे. पी. शर्मा, हाउस नं. 1043, सेक्टर 2, पंचकुला, श्री रूली राम का पुत्र, श्री हरबिलस, हाउस नं. 80, सेक्टर 28-ए, चंडीगढ़, श्री हरबिलास के पुत्र पद्म भूषण, हाउस नं. 80, सेक्टर 28-ए, चंडीगढ़, स्मट. पार्कशो देवी, सिरी राम की पत्नी, दया नगर, न्यू मंडी, ताराओरी, जिला करनाल, एम / एस के विपरीत राजू आटा मिल्स, 243, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ को श्री हरबिलास को छोड़कर सेवा दी गई थी, जिंदल और श्री पदम भूषण जिन्हें बैंक संयुक्त राष्ट्र प्राप्त हुआ था। 12 फरवरी, 2003 के नोटिस के बाद से (अनुबंध पी -2) हरबिलस जिंदल और श्री पद्म भूषण पर सेवा नहीं दी जा सकती थी, डिफॉल्टर्स, पंजीकृत ए.डी. पोस्ट, और वही प्राप्त हुए थे इसमें वर्णित पतों से वापस संयुक्त राष्ट्र में, बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पहले के पतों पर नोटिस भेजे गए थे जिस पर उनकी सेवा नहीं की गई। इस प्रकार नोटिस दिए जाने थे उधारकर्ताओं पर उस स्थान पर जहां वे नए पतों पर निवास कर रहे थे। इस संबंध में जानकारी, – वाइड पत्र दिनांक 24 अप्रैल,

2003 (अनुलग्नक पी -3) डिफाल्टर को नोटिस देने के संबंध में अपने निवासी ले हाउस नं. 35, सेक्टर 16, पंचकुला को भेजा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पंचकुला एक अनुरोध किया कि पुलिस कर्मियों को 27 अप्रैल, 2003 को 11 बजे ए.एम. ताकि नोटिस वितरित किए जा सकते हैं, और यह कि दोस्तों और रिश्तेदारों के उधारकर्ताओं में याचिकाकर्ता या कोई अन्य बैंक का अधिकारी किसी भी झूठे मामले में शामिल नहीं हो सकता है।

(3) यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 और नियमों को लागू किया गया, इलाहाबाद बैंक एक सुरक्षित लेनदार था और ऋण सुविधाएं थीं सभी प्रकार के स्टॉक और बुक डेट्स के हाइपोथेकशन के माध्यम से सुरक्षित 243 पर स्थित यूनिट, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ और भी न्यायसंगत पर स्थित एक करनाल भूखंड पर निर्मित संपत्ति का बंधक दया नगर, नई मंडी, ताराओरी, जिला करनाल, श्री सिरी राम की पत्नी श्रीमति पार्कशो देवी के स्वामित्व में है। इस प्रकार उपरोक्त गुण सुरक्षित संपत्ति थे और इलाहाबाद बैंक एक सुरक्षित लेनदार था और प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002, जिसके संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। चूंकि उधारकर्ता विफल हो गए नोटिस अनुलग्नक पी -1 का अनुपालन करने के लिए और राशि नहीं थी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत इस तरह की कार्यवाही के रूप में जमा किया गया नियम 9 के साथ उधारकर्ताओं की सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ शुरू किया गया था कब्जा करने के लिए, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी लिया जाना था। सुरक्षा के नियम 3 के तहत नोटिस ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 को सेवा दी जानी थी उधारकर्ता उस स्थान पर जहां वे व्यक्तिगत रूप से या निवास कर रहे थे। याचिकाकर्ता को प्राधिकृत अधिकारी, श्री आर.के. सूद जो इलाहाबाद बैंक, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ शाखा के मुख्य प्रबंधक थे और अन्य स्टाफ सदस्य नोटिस की सेवा के लिए 27 अप्रैल, 2003 को 35, सेक्टर 16, पंचकुला हाउस पहुंचे नहीं थे। जब याचिकाकर्ता और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ पुलिस, पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्शाए गए कार्मिक उपस्थित थे, उधारकर्ताओं पर नोटिस की सेवा के लिए घर के बाहर, जिन्हें वहां उपलब्ध नहीं होने की सूचना मिली थी। पुरुष परिवार के सदस्य उधारकर्ताओं ने अधिनियम 2002, के तहत जारी नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कोई अन्य विकल्प नहीं था, अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार, सेक्टर 16, पंचकुला 27 अप्रैल, 2003 को उधारकर्ताओं पर नोटिस की सेवा के लिए घर की बाहरी दीवार पर प्रति नं. 35 चिपका दी गई थी। प्रतिभूतिकरण सूचना अनुलग्नक

पी -2 के साथ-साथ धारा 13(4) के तहत नोटिस एनएक्सएक्सरे पी-4 सदन की बाहरी दीवार पर चिपका हुआ था।म.35,सेक्टर16,पंचकुला जहां उधारकर्ता निवास कर रहे थे। नोटिस की प्रति इसमें पुलिस की उपस्थिति में सेवा की रिपोर्ट के साथ संबंध Ex.P-2 है। पुलिस कर्मियों के साथ-साथ प्रेस रिपोर्टर्स पूरी कार्यवाही के दौरान भी मौजूद थे। न ही याचिकाकर्ता न ही किसी अन्य निकाय ने आवासीय घर में प्रवेश किया जैसा कि शिकायत में कथित है। पूरी कार्यवाही प्रावधानों के तहत आयोजित की गई थी इस संबंध में लागू अधिनियम और नियम अच्छे विश्वास और में याचिकाकर्ताओं की कार्यवाही पूरी तरह से धारा 32 के तहत संरक्षित है प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002।

(4) उधारकर्ता /धोखेबाज और साथ ही उनके अन्य सहयोगियों ने याचिकाकर्ता (ओं) और अन्य लोगों को एक झूठे मामले में शामिल करने की धमकी दी क्योंकि बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक के डिफाल्टर के नोटिस की पुष्टि करके उनके घर पर, उनकी प्रतिष्ठा इलाके में ध्वस्त हो गई है। उत्तरदाता न 2 के साथ रोशनी देवी, हरबिलास जिंदल की पत्नी, श्री सुरेश जिंदल और श्री विनोद जिंदल, श्री हरबिलस जिंदल के बेटे ने 10 मई,2003 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसके माध्यम से श्री ए. पी. मांचंदा, वकील 50 रुपये के भुगतान के लिए, जैसा कि घटना से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है। श्री राम के माध्यम से उक्त नोटिस का जवाब दिया गया था, 25 मई,2003 चंदर को बैंक की ओर से एडवोकेट। याचिकाकर्ता को और अधिक परेशान करने और अपमानित करने के लिए, श्री आर.के. सूद और इलाहाबाद बैंक के अन्य अधिकारियों ने प्रतिवादी न. 2 पर एक गलत शिकायत 1 मई,2003 न्यायालय में मजिस्ट्रेट इस्ट क्लास, पंचकुला,धारा 166, 167, 355, 448 के तहत, भारतीय दंड संहिता के 452, 500, 504, 506, 148 और 149 प्रति शिकायत को अनुलग्नक पी -5 के रूप में संलग्न किया गया है। कुछ सबूत प्रतिवादी न.2 का रिकॉर्ड,शिकायतकर्ता और श्री राजेश के, 1 मई, 2003 को, और उसके बाद सबूत बंद कर दिए गए। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी न.2 ने एक सूची दायर की है शिकायत के साथ 24 गवाहों के गवाह और केवल आरोपों के समर्थन में खुद को और किसी अन्य व्यक्ति की जांच को किया गया। याचिकाकर्ता और श्री आर.के. सूद ने श्री पी के न्यायालय द्वारा बुलाने का आदेश दिया गया। पी.के.यादव,न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकुला,---12मई,2003 के तहत व्यापक आदेश अनुभाग 452/500/506/148 के साथ पढ़ा की धारा149 भारतीय दंड कोड और उन्हें 12सितंबर,2003 के लिए बुलाने का आदेश दिया गया था,आदेश की प्रति अनुलग्नक पी -7 ह। यह आगे आरोप लगाया,कि

आदेश के संदर्भ में उपस्थिति के नोटिस / समन जारी किए गए थे पी -7 और व्यक्ति में उपस्थिति के सम्मन की प्राप्ति के बाद या वकील के माध्यम से, उनके वकील के माध्यम से उपस्थिति बनाई गई थी। याचिकाकर्ता (ओं) को बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते वरिष्ठ से अनुरोध किया गया,पुलिस अधीक्षक, पंचकुला, – वाइड पत्र अनुलग्नक P-3 उनके स्थान पर डिफॉल्टरों पर सेवा को प्रभावित करने के लिए पुलिस सहायता प्रदान करें।

(5) यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी हैं के खिलाफ एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते सद्भाव में कार्यवाही की है । 2002 अधिनियम की धारा 32 बचाव के लिए आती है याचिकाकर्ता (ओं) जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ बैंक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है चूंकि वे उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं शिकायत का मनोरंजन करते हुए ट्रायल कोर्ट (अनुलग्नक पी -5) और लगाए गए समन आदेश को पारित करते समय अनुलग्नक पी -7 धारा 32 के प्रावधानों को ध्यान में रखने में विफल रहा 2002 अधिनियम। लोक सेवक होने वाले याचिकाकर्ता संरक्षित हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों के तहत क्योंकि उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में काम किया। एक पहलू यह भी है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कानूनी और उचित तरीके से ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि लगाए गए समन को पारित किया गया है आदेश अनुलग्नक पी -7 के रूप में, इस तरह के एक ही उद्धृत करने के लिए उत्तरदायी है। यह आरोप लगाया गया कि शिकायत अनुबंध P-5 झूठी है, प्रतिवादी न. 2 का कार्य *माला फाइड है*/ यहाँ उल्लेख करना उचित है कि कार्यवाही पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में की गई और याचिकाकर्ता द्वारा दायर झूठी और तुच्छ शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सहायक महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र 17-बी, चंडीगढ़, – वाइड पत्र दिनांक 11 फरवरी, 2004 अनुलग्नक पी -13 ने पुलिस अधीक्षक पंचकुला को देने का अनुरोध किया 27 अप्रैल, 2003 को सदन में नोटिस की सेवा के बारे में रिपोर्ट 35, सेक्टर 16, पंचकुला और 28 तारीख की शिकायत के बारे में भी अप्रैल, 2003 प्रतिवादी न. 2 द्वारा बनाया गया और कार्यवाही के बारे में भी 30 अप्रैल, 2003 को टेलीग्राम पर महानिदेशक को भेजा गया। अपराधी को पंजीकृत करने के लिए प्रतिवादी न. 2 द्वारा पुलिस, हरियाणा शिकायत के मामले में बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला पी 5 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक, --- 13 फरवरी को उनके पत्र के अनुसार, 2004 अनुलग्नक पी -14 ने पुलिस अधिकारियों को पदच्युत करने की पुष्टि की

27 अप्रैल,2003 को नोटिस की सेवा के लिए बैंक अधिकारियों की सहायता करें और यह भी पुष्टि की गई है कि प्रतिवादी न. 2 की शिकायत पर कोई संज्ञानात्मक अपराध नहीं किया गया था।

(6) नोटिस पर उत्तरदाता ने जवाब दाखिल किया। उत्तरदाता न 2 की ओर से दायर उत्तर को इसके माध्यम से अनुमानित किया गया था प्रारंभिक आपत्ति कि धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि यह वह चरण नहीं है जहां संस्करण के आधार पर शिकायत को खारिज किया जाना है धारा 482Cr.P.C.के तहत याचिका में दिया गया। न्यायालयों को विवाद में प्रवेश नहीं करना, संस्करण सही है। इसे और निवेदन किया जाता है याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और अन्य अधिकारी, क्योंकि यह प्रश्न जब तक नहीं आया तय नहीं किया जाना है। यह अनुमान लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को चाहिए कि मजिस्ट्रेट को संपर्क करने से पहले सभी दलीलें 482Cr.P.Cके तहत माननीय उच्च न्यायालय के सामने उठाए, जैसा कि **के. एम. मैथ्यू** *बनाम* **केरल राज्य,(1)में** रखा गया है। यह निवेदन किया गया था कि याचिकाकर्ता 2002 अधिनियम की धारा 32 का आश्रय नहीं ले सकते। यह आगे धारा 13(2) के तहत नोटिस की सेवा के लिए निवेदन किया गया था, 2002 का अधिनियम याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं था क्योंकि 1986 के सिविल सूट न.399 को पहले से ही उत्तर देने वाले प्रतिवादी के पिता के खिलाफ स्थापित किया गया और 23 दिसंबर,1988 को न्यायालय से एक डिक्री प्राप्त की गई थी। निष्पादन की कार्यवाही बताई गई कि संपत्ति लगाव और बिक्री के लिए करनाल में न्यायालयों में लंबित विवाद में गिरवी रखी गई। योग्यता के आधार पर, औसत याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था और यह दोहराया गया था कि याचिकाकर्ता के पास शिकायतकर्ता के पिता को उसे आसपास के क्षेत्र में बदनाम करने की दृष्टि से परेशान किया। उत्तर अनुलग्नक आर-1 के साथ, निर्णय की प्रति उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा प्रदान की गई डिक्री शीट संलग्न थी। नोटिस का अनुलग्नक आर-2 उत्तर भी रिकॉर्ड पर रखा गया। अनुलग्नक आर-3 कथित समाचार है हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू पेपर में प्रकाशित, के संबंध में नोटिस का प्रत्यय। प्रकाशित कॉपी को रिकॉर्ड पर रखा गया था। समन आदेश अनुबंध P-7 को भी रिकॉर्ड पर रखा गया था।

(7) यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य याचिकाकर्ता के औसत का समर्थन कर,शिकायत में कथित जवाब दायर है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी

(1) 1992 Cri.L.J. 3779 और 1996 (3) आर.सी.आर. 777

और यह स्वीकार किया गया कि स्थानीय पुलिस याचिकाकर्ता के साथ थी हाउस नंबर की बाहरी दीवार पर नोटिस चिपका / चिपकाए जाने के लिए ह.35, सेक्टर 16, पंचकुला। उन्होंने इस प्रकार उत्तरदाता की कार्यवाही *योग्यता पर* बर्खास्तगी के लिए प्रार्थना की।

(8) शिकायत अनुलग्नक पी -5 के खिलाफ दुखी महसूस कर रहा है और आदेश दिनांक 12 मई, 2003 (अनुलग्नक पी -7), याचिकाकर्ता (ओं) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके इसे लागू किया गया है।

(9) मैंने पार्टियों के वकीलो को सुना है और फ़ाइल पर उपलब्ध रिकॉर्ड को पढ़ा।

(10) याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अपना काम कर रहे थे उनके आधिकारिक कर्तव्यों और उल्लिखित शर्तों के अनुसार, सूचना परिपत्र अनुलग्नक पी -1 के सेवा को प्राप्त करने के लिए एक दायित्व के तहत थे। सेवा को प्रभावित करने के लिए डिफॉल्ट करने वाली पार्टी, याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि हरबिलास हो सकता है किसी भी अनहोनी घटना को आकार न दें, यह इस आशंका के साथ था बैंक अधिकारियों ने पुलिस की मदद मांगी, उस के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र अनुलग्नक पी -3 से पुलिस की मदद मांगी, जिसके आधार पर दो कांस्टेबल अर्थात् इंदर सिंह और विक्रम सिंह, बैंक अधिकारियों के साथ ड्यूटी के लिए विस्तृत थे। निवास के विशिष्ट स्थान पर नोटिस की सेवा प्राप्त करना डिफॉल्टिंग पार्टी, अर्थात्, हरबिलास जो हाउस 35, सेक्टर 16, पंचकुला, में रह रहे थे, राजू फ्लोर मिल्स के भागीदार थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास *बोना फाइड* डिफ़ॉल्ट पार्टी पर प्रभावित नोटिस की सेवा प्राप्त करने के लिए कदम ले लिया था। आसपास के क्षेत्र में याचिकाकर्ता डिफॉल्टर की अवहेलना करना कभी नहीं चाहता था।

(11) याचिकाकर्ता के वकील, आगे की पुष्टि कि, कि वर्तमान शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट इस्ट क्लास, पंचकुला की अदालत में दर्ज बदला लेने के लिए उन्हें वसूली में आगे की कार्यवाही से रोकना के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि सराहना के बिना मजिस्ट्रेट इन तथ्यों ने यांत्रिक रूप से सम्मन आदेश पारित किया है। इसलिए, शिकायत को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह प्रक्रिया का दुरुपयोग

न्यायालय में हो रहा है। **पंजाब नेशनल बैंक और अन्य** *बनाम* **सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा (2)** का संदर्भ दिया गया था**,** जिसमें यह देखा गया था: –

> ""न्यायिक प्रक्रिया को उत्पीड़न का साधन नहीं होना चाहिए। न्यायालय को परिधि होना चाहिए और विवेक का प्रयोग करे और सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में लेना चाहिए वो भी प्रक्रिया जारी करने से पहले, ऐसा न हो कि यह निजी शिकायतकर्ता के हाथ में एक साधन हो उत्पीड़न के लिए। इसलिए, डिफ़ॉल्ट के मामले में बैंक ऋण का पुनर्भुगतान, जब ऋण समय वर्जित बन गया और बैंक ने ऐफ.डी .आर से ऋण को समायोजित किया था। इसके कब्जे में जो गारंटर द्वारा जमा किए गए थे सुरक्षा के माध्यम से, उनकी परिपक्वता के बाद, और एक शिकायत गारंटर द्वारा अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था, बैंक के प्रबंध निदेशक और अधिकारियों के एक मेजबान पर दंड के धारा 109, 114 और 409 के तहत आरोप कोड, यह जिम्मेदारी और कर्तव्य मजिस्ट्रेट पर होगा कि वह पता लगाने के लिए कि क्या संबंधित अभियुक्त प्रक्रिया जारी करने से पहले आरोपित अपराधों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार थे। इस शिकायत के आधार पर व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान और प्रतिशोध के लिए जो प्रक्रिया जारी की गई थी, शिकायत को खारिज कर दिया गया था। "

(12) वकील का एक और विवाद यह था कि याचिकाकर्ताओं ने नोटिसों की सेवा करके अपने कर्तव्यों के निर्वहन में काम किया था डिफाल्टर के घर की बाहरी दीवार पर आत्मीयता के माध्यम से, इसलिए सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। उनके विवाद के समर्थन में **एच.पी.राज्य.** *बनाम* **एम.पी. गुप्ता (3)**संदर्भ था,जिसमें यह था कि: –

> "यदि यह *प्रथम दृष्टया* पाया कि अधिनियम के लिए आरोपी पर धारा 197सी.आर.पी.सी. लागू होगा, लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता होगी।

(2) ए.आई.आर 1992 एस.सी. 1815

(3) 2004 (1) आरसीआर (आपराधिक) 197 (एस.सी.)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता. धारा 197 – शब्द का अर्थ "आधिकारिक कर्तव्य"– लोक सेवक के अभियोजन के लिए प्रतिबंध किए गए किसी भी उसके द्वारा अभिनय या निर्वहन में कार्य में किए अपराध के लिए आवश्यक है– आधिकारिक कर्तव्य का तात्पर्य है कि अधिनियम या लोक सेवक द्वारा उनकी सेवा में अधिनियम या चूक होना चाहिए जो कर्तव्य के भाग के रूप में किया गया है– धारा 197 सी. आर. पी.सी. पर लागू होगा उन कृत्यों को जो कर्तव्य के दौरान हुआ है ।"

(13) प्रतिवादी न 2 की मुख्य शिकायत यह है कि कथित घटना श्रीमती रोशनी देवी के घर में हुई थी और वह उस समय घर में मौजूद थीं। न उसने कोई शिकायत दर्ज की है और न ही पुलिस को मामले की सूचना दी है। उसे गवाहों की सूची में एक गवाह के रूप में नहीं दिखाया गया है अनुलग्नक पी -6 जिसमें 24 गवाहों के नाम का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जब श्रीमती रोशनी देवी को गवाह के रूप में नहीं दिखाया गया है ऐसी स्थिति में उसके घर में कथित घटना से संबंधित शिकायत के चेहरे पर अनुलग्नक -5 बनाए रखने योग्य और उत्तरदायी छीना जाना सही है। यह स्वयं इस तथ्य को साबित करता है कि शिकायत प्रतिवादी न 2 द्वारा गलत दर्ज की गई है और वही केवल याचिकाकर्ता और बैंक अधिकारी को परेशान करने और अपने कर्तव्य के तहत प्रदर्शन न करने के लिए की गई है। उत्तरदाता न 2 ने न उधारकर्ता और न ही कोई नोटिस जारी किया गया था और न ही उस पर इलाहाबाद के अधिकृत अधिकारी द्वारा सेवा दी गई थी, प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत उसके पास शिकायत दर्ज करने का कोई कारण नहीं था अनुलग्नक पी -5। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पीड़ित व्यक्तियों ने कोई भी शिकायत या तो स्थानीय पुलिस के सामने या सीखा परीक्षण से पहले कोर्ट में दायर नहीं किया है। स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत अधिकारियों के खिलाफ एक मामले के पंजीकरण सही नहीं था इसके लिए प्रतिवादी न 2 ने याचिकाकर्ता सहित बैंक के संबंध में दर्ज की गई। इस प्रकार शिकायत की स्थिरता के बिंदु पर शिकायत अनुलग्नक पी -5 वह दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, वर्तमान शिकायत न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और शिकायतकर्ता (उत्तरदाता) के पिता के अवैध डिजाइन को प्राप्त करना है।

(14) वकील के तर्क का एक और अंग यह था कि याचिकाकर्ता को श्री ए.पी. मंचंडा, प्रतिवादी वकील ने नुकसान के दावे के लिए एक नोटिस जारी किया था, जो 50 लाख की धुन तक है जो घटना 27 अप्रैल, 2003 को हुई थी। श्री राम चंदर के माध्यम से उक्त नोटिस 25 मई, 2003 को बैंक की ओर से था।

इस प्रकार, वकील के अनुसार, एक तरह से शिकायतकर्ता के पिता द्वारा लगातार उत्पीड़न के लिए याचिकाकर्ताओं को या अन्य, ताकि उन्हें वसूली के साथ आगे न बढ़ने के लिए मना किया जाए 2002 अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

(15) तर्कों पर विवाद करते हुए, श्री ए.पी.मंचन्दा,वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को किए गए नोटिस को रिकॉर्ड नहीं किया गया है जिसे हरबिलास द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था,यह दिखाने के लिए कि वे अपने अधिकार के भीतर अधिनियम,2002 की धारा 13(2) के तहत 60 दिनों के बाद आत्मीयता के माध्यम से नोटिस की सेवा करें। वकील ने कहा कार्यवाही *बोना फाइड* नही है और साथ *माला फाइड* काम किया है,जो कि उत्तरदाताओं को बदनाम करने के इरादे से किया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिकारी के निर्वहन में काम किया है। जिस तरीके और आचरण से याचिकाकर्ता ने कोशिश की म.35,सेक्टर16,पंचकुला से संबंधित हरबिलास, उन्हें बैंक अधिकारी,पुलिस और प्रेस रिपोर्टर्स आवश्यक नहीं थे। इस प्रकार,इन परिस्थितियों से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने आसपास के क्षेत्र में हरबिलास की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए काम किया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि एक सिविल सूट पहले ही दायर किया जा चुका है जो था सिविल कोर्ट करनाल के समक्ष डिक्री और निष्पादन की कार्यवाही लंबित थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए अधिनियम,2002 की धारा13(2) के प्रावधानों का सहारा लेने का कोई अवसर नहीं था। सबसे अधिक यह फर्म के पार्टनर हरबिलास द्वारा प्रतिबद्ध विश्वास या जालसाजी,धोखा देने या भंग करने का मामला हो सकता है। माननीय शीर्ष न्यायालय मुश्ताक अहमद *बनाम* मोह.हबीबुर रहमान फैजी और अन्य(4)के तहत देखा गया है:–

"शिकायत और दस्तावेज स्पष्ट रूप से *प्रथम दृष्टया* में मामला धोखा, विश्वास का उल्लंघन और जालसाजी,के बावजूद भी उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता के संस्करण पर विचार कर धारा482Cr.P.C.के तहत,उनकी याचिका में आगे बढ़े। *एकदृष्टि* अपीलकर्ता ने बहस यह तय करने के लिए की,कि कौन सा संस्करण सही था,–एक कोर्स पूरी तरह से उपरोक्त उद्धृत अभय भजन लाल(1992 AIRSCW 237)*(सुपरा)"*

(16) उत्तरदाता के वकील आगे प्रस्तुत किया आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा197 के प्रावधान यानी सक्षम अधिकारी से याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पूर्व-आवश्यकता नहीं हैं।

(4) ए.आई.आर.1996एस.सी.2982

(17) ऐसी स्थिति में यह बहस का सवाल है जिसको कोर्ट द्वारा तय किया जाना है,किस संस्करण के रूप में सही है और इसका सहारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा482 के प्रावधान पूरी तरह से अभेद्य है। जैसे,शिकायत को खारिज करने का आदेश हटाया गया था, वैसे यू.पी.राज्य *बनाम* ओ.पी.शर्मा(5).समान किया गया था। वकील द्वारा उद्धृत वर्तमान मामले के लिए दोनों अधिकारी आकर्षित नहीं होते।

(18) दोनों वकीलो को सुनने के बाद,मेरा विचार है कि तर्क के लिए वकील द्वारा उन्नत याचिकाकर्ता को प्रबल होना चाहिए। यह विवादित नहीं कि बैंक ने उत्तरदाता के पिता के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की सिविल कोर्ट, चंडीगढ़ में और एक डिक्री 23दिसंबर, 1988 को इस आशय की राशि रु.2,01,234.14/-प्राप्त की गई थी। डिक्री के पारित होने के बाद, प्रतिवादी न2 के पिता द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया और राशि में सूजन आ गई रु 7,06,275। वकील की दलील कि अधिनियम की धारा 36 जो प्रदान करता है सीमा वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं होती है, वो भी डिफॉल्टरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही लंबित होने के कारण। यह एक ऐसा मामला है जिसमें बैंक के अधिकारी 2002अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे और सभी कदम उठा रहे, जो उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में वारंट थे। यह भी विवादित नहीं कि जब घर के बाहरी गेट पर नोटिस की पुष्टि म. 35,सेक्टर16,पंचकुला, हुई, ये पुलिस के दो कांस्टेबल की मौजूदगी में की जा रही थी, जो वापसी थाने में बोले कि कोई अनहोनी की घटना नहीं हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंचकुला की रिपोर्ट (अनुलग्नक P-14)–इस तथ्य की पुष्टि करता है। यह भर्ती मामला भी है पार्टियों के प्रासंगिक समय पर रोशनी देवी मौजूद थीं घर में, लेकिन उसने न तो सक्षम में कोई शिकायत दर्ज की थी याचिकाकर्ता के कथित कृत्य के बारे में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और न ही उसने संबंधित पुलिस के साथ कोई पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की। वर्तमान शिकायत प्रतिवादी न.2 द्वारा न्यायालय में मजिस्ट्रेट इस्ट क्लास, पंचकुला में दायर की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि डिफॉल्ट करने वाली पार्टी ने याचिकाकर्ता को उन्हें शामिल करने के लिए खतरा दिखाया कुछ झूठे आपराधिक मामलों में,और इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वर्तमान शिकायत अनु.पी-5 वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर की गई,परेशान करने के लिए ताकि वे वसूली को अंजाम न दें। पीड़ा यहाँ समाप्त नहीं हुई,डिफाल्टर की ओर से निरंतर थी। तो एक नोटिस

(5) AIR 1996 एस.सी. 2983

वकील के माध्यम से सेवा की। श्री ए .पी. मंच, मुकदमा करने के लिए वकील ने 27 अप्रैल, 2003 को हुए 50 लाख रुपये की क्षति के लिए कार्यवाही की। यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता न केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षित है लेकिन 2002 अधिनियम की धारा 32 के तहत, जिन्हें पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

आपराधिक प्रक्रिया संहिता. धारा 197 – शब्द का अर्थ "आधिकारिक कर्तव्य"। –

"लोक सेवक के अभियोजन के लिए प्रतिबंध आवश्यक है उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है के निर्वहन में कार्य करने के लिए अभिनय या उद्देश्य उनका आधिकारिक कर्तव्य – आधिकारिक कर्तव्य का तात्पर्य है कि अधिनियम या लोक सेवक द्वारा चूक की गई होगी उनकी सेवा और इस तरह के अधिनियम या चूक के दौरान होना चाहिए कर्तव्य के भाग के रूप में किया गया है जो आगे प्रकृति में आधिकारिक रहा होगा – धारा 197 Cआर.P.C. उन कृत्यों पर लागू होगा जिन्हें कर्तव्य के दौरान किया जाता है।"

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002-धारा 32 – कार्यवाही का संरक्षण अच्छे विश्वास में लिया गया ---

"कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही झूठ नहीं होगी किसी भी सुरक्षित लेनदार या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ या सुरक्षित के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने वाला प्रबंधक कुछ भी करने या छोड़ने के लिए क्रेडिट या उधारकर्ता इस अधिनियम के तहत अच्छे विश्वास में किया जाए।"

(19) जाहिर है, प्रतिवादी न 2 के पास कार्यवाही का कोई कारण नहीं था याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा करें क्योंकि वह संबंधित घर में उपलब्ध नहीं था। इसलिए, वर्तमान शिकायत बदला लेने का कार्य है वर्तमान शिकायत हरबिलास और अन्य डिफॉल्टरों ने अपने बेटे के माध्यम से एक गलत संस्करण प्रस्तुत करके, जो दिन का प्रकाश कभी नहीं देखा। इसलिए, वर्तमान शिकायत न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के एक अधिनियम में नहीं हो सकता।

(20) पूर्वोक्त कारणों से, शिकायत (अनुबंध पी -5) साथ ही सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी -7) न्यायिक मजिस्ट्रेट इस्ट क्लास द्वारा पारित किया गया दोनों याचिकाओं में, को खारिज किया जाता है।

आर. एन. आर.

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा